B.M.E.B.R. Vol. XIV, No. 1-2, pp. 50-55

कुमाँऊ वन खण्ड में उपलब्ध अज्ञात संहितोक्त वनौषधि "मधूक पुष्पी" विनिश्चित-"च्यूरा"

वैद्य मायाराम उनियाल*

Received on 19th July 1989

स्थानीय उपलब्धता, परम्परागत उपयोग तथा मधूकद्वयम् एवं मधूकपुष्पी के आयुर्वेद संहिताओं के वर्णन के आधार पर कुमाँयू वन प्रदेश में विशेष रूप से प्राप्त "च्यूरा" नामक वृक्ष का विनिश्चय प्रस्तुत शोध लेख में करने का प्रयास किया गया है। ऋषि-मुनियों की आर्ष सम्पत्ति वनौषधियों एवं प्रचलित जडी-बूटियों के अन्वेषण में वनौषधि सर्वेक्षण एवं अनुसंधान एकक सतत् नवीन दिशा प्रदान करते रहे हैं। पादप संग्रहण, स्थानीय प्रयोग व प्राप्ति स्थान की जानकारी के संकलन के पश्चात् अनुमान, आप्तोपदेश व प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अज्ञात एवं संदिग्ध द्रव्यों की पहिचान की जा सकती है। अनुसंधान की सार्थकता हेतु महर्षि चरक द्वारा अनुसंधान को दिये विद्या (Knowledge) वितर्क (Reasoning), विज्ञान (Scientific method), स्मृति (Memory), तत्परता (Repeated experiments) तथा क्रिया (Practical application) के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसरण हेतु दिये गये उपदेशानुसार परम्परागत लोक प्रचलित ज्ञान के माध्यम से अज्ञात वनौषध द्रव्य का नाम रूप परिचय दिया जा रहा है—

यथा—

विद्या वितर्को विज्ञान स्मृति स्तपरता क्रिया।
यत्यैते षड्गुणास्तस्य, न साध्य मतिवर्तते ॥
"च. सू. अ."

उपरोक्त आधार पर मधूकपुष्पी के विनिश्चयन हेतु संकलित सामग्री की विवेचना प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें संहिताओं में वर्णित सन्दर्भ स्थलों का संकलन, अनेकार्थबोधक पर्याय, द्रव्य का वानस्पतिक अध्ययन एवं परम्परागत उपयोग सम्बन्धी जानकारी सम्मिलित की जा रही है।

प्रथम भाग-संहितोक्त पक्ष :

मधूकपुष्पी :

चरक संहिता विमान अध्याय 8 श्लोक

* वनौषधि विद्यापति (श्रीलंका)
सहायक निदेशक।